राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(G-1, किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक – पैरामेडि.कौं/एफ–126/2016/2025 दिनांक : 5-5-16

SARASWATI PARAMEDICAL INSTITUTE ,
TIWARI HOSPITAL CAMPUS,
AGRA ROAD, DAUSA

विषयः– पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम अस्थाई रूप से संचालित करने बाबत।

विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) द्वारा गठित समिति ने आपकी संस्था को निम्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने के योग्य माना हैः–

S. N.	Course Name
1.	Diploma in Medical Laboratory Technology
2.	Diploma in Operation Theatre Technology

उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन सत्र 2016–17 के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन किया जा सकेगाः–

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को प्रति डिप्लोमा कोर्स के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की 75000 रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में दिनांक 13–06–2016 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाएं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटें अस्थाई रूप से आवंटित की जाएगी।

रजिस्ट्रार

Scanned by CamScanner